अध्याय–दो
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)

1.4 विभागीय संरचना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशा–निर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अंतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं

- समन्वय
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- वित्त एवं बजट
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- वन भू–अभिलेख
- कार्य आयोजना
- वन्यप्राणी प्रबंधन
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबंधन एवं वन विकास अभिकरण
- नीति विश्लेषण
- कैम्पा
- ग्रीन इंडिया मिशन

1.4.1 अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण तालिका क्रमांक 1.1 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.1
क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण

इकाईयों का प्रकार	संख्या
वृत्त	16
वनमंडल	63
उपवनमंडल	135
परिक्षेत्र	473
उप वन परिक्षेत्र	1871
परिसर	8286

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक अपने उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते हैं। परिक्षेत्राधिकारी काष्ठगार अधिकारी के रूप में काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा व्यवस्था एवं विक्रय हेतु प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

उपवनमंडलाधिकारी एक या अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उपमंडल) के प्रभारी होते है। उपवनमंडलाधिकारी की वन अपराधों के प्रशमन एवं वन अपराध में प्रयुक्त वनोपज, उपकरण, वाहन इत्यादि के राजसात में वन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका है। उपमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उनके उपवनमंडल क्षेत्राधीन वन राजस्व की वसूली हेतु तहसीलदार की शक्ति मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत दी गई है। कार्य आयोजना अन्तर्गत कूपों का चिन्हांकन सीमाकंन एवं उपचार मानचित्रों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

वनमंडलाधिकारी वनमंडल अन्तर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु भारसाधक अधिकारी हैं। उनके द्वारा वनमंडल में वनवर्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज का विपणन, निस्तार आपूर्ति, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वनग्रामों का प्रबंधन किया जाता है।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है, पर आवश्यकता अनुसार दिशा– निर्देश देने के दायित्व का निर्वहन करते हैं।

वन वृत्तों पर नियंत्रण हेतु वृत्तवार वृत्त प्रभारी की व्यवस्था पुनः लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत मुख्यालय में पदस्थ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी आवंटित वन वृत्त के कार्यों का अनुश्रवण करते हैं एवं मुख्यालय स्तर पर वृत्त हेतु समन्वय की भूमिका का निर्वहन करते हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/03/2008–AIS–।। (**A**) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्यक्षेत्र में कार्यआयोजना के साथ–साथ वन भू अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों, विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ–साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु परिक्षेत्रों में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (ऑचलिक) वृत्त तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है। इन इकाईयों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में संलग्न है। क्षेत्रीय इकाईयों की प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था का विवरण तालिका क्रमांक 1.2 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.2
क्षेत्रीय इकाइयों की नियंत्रण व्यवस्था

क्र.	क्षेत्रीय इकाई का विवरण	नियंत्रण अधिकारी
1	परिसर रक्षक (बीट गार्ड)	वन परिक्षेत्र अधिकारी
2	परिक्षेत्र सहायक	
3	वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य/उत्पादन)	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी/वनमंडलाधिकारी (सामान्य/उत्पादन)
4	उप वनमण्डल अधिकारी (सामान्य/उत्पादन)	
5	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी/ वन मंडल अधिकारी (सामान्य/उत्पादन) तथा संचालक वन विद्यालय	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी
6	वन परिक्षेत्र अधिकारी (अनुसंधान एवं विस्तार)	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त
7	मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (कार्य आयोजना)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर
8	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) म.प्र., भोपाल
9	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार) वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी) म.प्र., भोपाल
10	क्षेत्र संचालक/संचालक राष्ट्रीय उद्यान	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र., भोपाल
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) म.प्र., भोपाल
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मुख्यालय–समस्त) म.प्र., भोपाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश, भोपाल

1.4.2 स्थापना

भारतीय वन सेवा

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/02/2014 ए.आई.एस.–दो (क) दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3–26/2012/10–4 दिनांक 01.08.15 से संवर्ग पुनरीक्षण अनुसार नवीन संवर्ग पद के एक पद के विरूद्ध विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) का एक पद निर्मित किया गया है। भारतीय वन सेवा की पदस्थिति का विवरण तालिका क्रमांक 1.3 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.3
भारतीय वन सेवा (मध्यप्रदेश संवर्ग) की पदस्थिति

(01.01.2016 की स्थिति में)

पद	संख्या	कार्यरत	
		पदों के विरूद्ध	लीव रिजर्व
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	05	05	–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	25	25	–
मुख्य वन संरक्षक	51	50	–
वन संरक्षक	40	40	–
उप वन संरक्षक	59	64	–
कुल वरिष्ठ पद	**180**	**184**	–
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36	18	–
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45	39	–
प्रशिक्षण रिजर्व	06	–	01
लीव रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व (परिवीक्षाधीन)	29	–	09
अध्ययन अवकाश	–	02	–
निलंबित	–	02	
कुल प्राधिकृत संख्या	**296**	**245**	10

राज्य वन सेवा

राज्य वन सेवा के अधिकारी उप वनमण्डलाधिकारी/सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। ये वनमण्डलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्यों में सहयोग करते हैं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त क्षेत्रीय कार्यो पर नियंत्रण रखते है। राज्य वन सेवा के लिये स्वीकृत पदों तथा उनके विरूद्ध कार्यरत अधिकारियों के पदों की स्थिति तालिका क्रमांक 1.4 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.4

राज्य वन सेवा की पदस्थिति

(01.01.2016 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	राज्य वन सेवा 'अ'– विभाग में कार्यरत्	359	314	45
	'ब'– प्रतिनियुक्ति पर	82	74	08
	योग	**441**	**388**	**53**

अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ कार्यपालिक पदों के रूप में वनरक्षक, वनपाल, उपवन क्षेत्रपाल एवं वनक्षेत्रपाल के पद स्वीकृत हैं। वन विभाग की सबसे छोटी इकाई परिसर रक्षक के पद पर वनरक्षक कार्य करते हैं। इनका प्रशासकीय नियंत्रण परिक्षेत्र सहायक करते हैं जो उप वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। परिक्षेत्र सहायक वनपरिक्षेत्रधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। इन सभी का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वनवर्घनिक एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिशिचत करना है। इनके कार्यों का विस्तृत विवरण

परिशिष्ट–2 में दर्शित है। अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं के स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.5 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.5
अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं की पदस्थिति

(31.12.2015 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	वनरक्षक	14024	10824	3200
2	वनपाल	4194	3713	481
3	उप वन क्षेत्रपाल	1258	1103	155
4	वन क्षेत्रपाल	1194	730	464
	योग	**20670**	**16370**	**4300**

लिपिकीय सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ लिपिकीय सेवाओं के लिए स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.6 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.6
लिपिकीय सेवाओं की पदस्थिति

(दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सहायक ग्रेड–3	1487	1252	235
2	सहायक ग्रेड–2	379	384	+5
3	लेखापाल	244	185	59
4	सहायक ग्रेड–1	192	134	58
5	लेखा अधीक्षक	75	75	00
6	अधीक्षक	35	35	00
7	वरिष्ठ निज सहायक	15	05	10
8	निज सहायक	45	45	00
9	शीघ्रलेखक	80	67	13
10	स्टेनो टायपिस्ट	57	00	57
11	मानचित्रकार	203	115	88
	योग	**2812**	**2297**	**515**

चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण तालिका क्रमांक 1.7 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.7
चतुर्थ श्रेणी सेवाओं की पदस्थिति

(दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में)

क्रमांक	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सुपरवाईजर	20	14	06
2	दफ्तरी	195	149	46
3	भृत्य/अर्दली/खलासी/फर्रास	950	799	151
	योग	**1165**	**962**	**203**

विविध

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत अन्य विविध पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.8 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.8
विविध पदों की पदस्थिति

(दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में)

1	वाहन चालक	613	409	204
2	मुख्य महावत	14	03	11
3	महावत	35	14	21
4	सहायक महावत (चतुर्थ श्रेणी)	49	12	37
	योग	**711**	**438**	**273**

अनुकम्पा नियुक्ति

असामयिक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के योग्य उत्तराधिकारियों को सहायक ग्रेड–3, वनरक्षक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में रिक्त पदों पर प्रवर्ग अनुसार नियुक्ति का प्रावधान है। विगत पॉच वर्षों में विभाग के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति का विवरण तालिका क्रमांक 1.9 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.9
अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण

(दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में)

विवरण		वर्ष				
		2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
प्रकरण संख्या		220	281	294	281	258
निराकृत (नियुक्ति)		41	90	100	192	189
अमान्य प्रकरण		2	1	5	5	7
लंबित प्रकरण	कलेक्टर स्तर पर	43	21	100	43	29
	प्रक्रियाधीन	134	169	89	41	33
	योग प्रकरण	**177**	**190**	**189**	**84**	**62**

1.4.3 सतर्कता एवं शिकायत

वन बल प्रमुख के अधीन सतर्कता एवं शिकायत शाखा समस्त स्तर से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती कार्रवाई करती है। परिक्षेत्र अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं परिक्षेत्र अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी एवं अधीनस्थ कार्यपालिक कर्मचारी के विरूद्ध अपील प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सर्तकता एवं शिकायत शाखा का है।

1.4.4 मानव संसाधन विकास

प्रदेश के वन बल को अनुशासित एवं व्यवसायिक रुप से वन प्रबंध में दक्ष करने के लिये वन विभाग प्रतिबद्ध है। यह अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संभव है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। इस हेतु वन विभाग द्वारा प्रदेश में 9 प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। विभाग को वर्ष 2015–16 में आयोजनेत्तर एवं आयोजना बजट मदों से कुल रु. 559.40 लाख की राशि क्षमता विकास के लिये प्रावधानित है।

वन विभाग में 7351 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है। श्रमिक की सेवा से संबंधित विषय एवं न्यायालयीन प्रकरणों का संधारण कार्य सम्पादित किया जाता है। विभिन्न संवर्गो में भर्ती उपरान्त संबंधित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, वनक्षेत्रपाल एवं वनरक्षकों के

लिये निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। क्षेत्रीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम व रुपरेखा सभी वन वृत्त एवं वनमंडलों में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में वर्ष 2015–16 में सीधी भर्ती से आगन्तुक अधिकारी व कर्मचारी निम्नानुसार संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर मध्यप्रदेश वन विभाग में क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.10 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.10
प्रशिक्षणार्थियों का विवरण

अनु.क्रं.	संवर्ग	प्रशिक्षण संस्थान	संख्या
1	सहायक वन संरक्षक	केन्द्रीय अकादमी रा.व.से. कोयम्बटूर	02
2	वनक्षेत्रपाल	तमिलनाडू वन अकादमी, कोयम्बटूर	04
3	वनरक्षक	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	89
4	वनरक्षक	वन विद्यालय, अमरकंटक	81
5	वनरक्षक	वन विद्यालय, बैतूल	69
6	वनरक्षक	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़	48
7	वनरक्षक	वन विद्यालय, झाबुआ	75
8	वनरक्षक	वन विद्यालय, लखनादौन	85
9	वनरक्षक	वन विद्यालय, शिवपुरी	90
10	वनरक्षक	वन विद्यालय,पचमढ़ी	45
11	वनरक्षक	वन विद्यालय, ताला	34

सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रम में वनरक्षक से वनपाल एवं उपवनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल पद पर पदोन्नति उपरांत क्रमशः 45 दिवस एवं 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सेवारत वन कर्मचारियों के लिये विशिष्ट वन्यप्राणी प्रबंधन एवं समकालीन वानिकी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदेश के 9 वन विद्यालयों में आयोजित किये जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यों के प्रशिक्षण, विशेषतया कार्य आयोजना के क्रियान्वयन के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम वृत्त, वनमंडल, उपवनमंडल एवं परिक्षेत्र स्तर पर स्थानीय कर्मचारियों के लिये प्रतिवर्ष माह जुलाई–सितम्बर में आयोजित किये जाते हैं। सेवारत् राज्य वन सेवा अधिकारियों को प्रदेश के बाहर आयोजित रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोनीत किया जाता है। प्रमुख रूप से यह कार्यक्रम देहरादून एवं आनन्द, गुजरात में आयोजित किये जाते हैं।

भारतीय वनसेवा अधिकारियों के लिये सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक सप्ताह या दो दिवस के प्रशिक्षण या कार्यशाला वर्ष 2015–16 में आयोजित किये गये हैं जिसमें भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के अधिकारियों को मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त देश के अन्य संस्थाओं द्वारा भी मध्यप्रदेश संवर्ग के लगभग 70 अधिकारियों को मनोनीत कर प्रशिक्षण दिया गया है। भारतीय वन सेवा अधिकारियों का मिड कैरियर प्रशिक्षण तीन चरणों में 30 अधिकारियों के लिये सम्पन्न किया गया।

अधोसंरचना

प्रदेश में प्रशिक्षण के लिये 9 सुसज्जित वन विद्यालय स्थित हैं। यह वन विद्यालय प्रदेश के प्रत्येक भाग में स्थित हैं ताकि प्रशिक्षण के लिये सुविधाजनक स्थिति निर्मित हो सके। वनरक्षक एवं वनपाल का क्रमशः भर्ती एवं पदोन्नति उपरांत प्रशिक्षण सात वन विद्यालयों में सम्पन्न किया जाता है। वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण महाविद्यालय, बालाघाट को वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण के स्थान पर दिनांक 01.04.2015 से वनरक्षक प्रशिक्षण के लिये अन्तरित किया गया। सभी वन विद्यालयों में वनरक्षक एवं पदोन्नत वनपालों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त सेवारत रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। प्रदेश के वन विद्यालयों की प्रशिक्षण क्षमता का विवरण तालिका क्रमांक 1.11 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.11
प्रदेश के वन विद्यालयों की प्रशिक्षण क्षमता

अनु.क्रं.	वन विद्यालय	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण क्षमता
1	वन विद्यालय अमरकंटक, अनूपपुर	वनरक्षक, वनपाल	125
2	वन महाविद्यालय, बालाघाट	वनरक्षक, वनपाल, उप वनक्षेत्रपाल	125
3	वन विद्यालय, बैतूल	वनरक्षक, वनपाल	125
4	वन विद्यालय, शिवपुरी	वनरक्षक, वनपाल	125
5	वन विद्यालय लखनादौन	वनरक्षक, वनपाल	125
6	वन विद्यालय पचमढ़ी	वनरक्षक, वनपाल	75
7	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़, रीवा	वनरक्षक	75
8	वन विद्यालय, झाबुआ	वनरक्षक, वनपाल	80
9	जैवविविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला (उमरिया)	वनरक्षक, वनपाल	50

टीपः– वन्यप्राणी शाखा द्वारा संचालित जैवविविधता प्रशिक्षण केन्द्र ताला में राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

विभागीय परीक्षा :

वन विभाग के सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये प्रतिवर्ष दो बार, जनवरी एवं जुलाई में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पूर्व में विभागीय परीक्षा नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी द्वारा आयोजित की जाती थी। वर्ष 2016 में दिनांक 18–21 जनवरी 2016 को भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर परीक्षा केन्द्रों पर विभागीय परीक्षा आयोजित की गई।

बाह्य परियोजना :

प्रदेश के 4 वन विद्यालयों, शिवपुरी, बैतूल, लखनादौन (सिवनी) एवं अमरकंटक (अनूपपुर) के लिये वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण विषयवस्तु दोनों में सुधार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु **JICA** (Japan International Cooperation Agency) एवं केन्द्र शासन के मध्य 13 जून 2008 को अनुबंध किया गया जिसमें मध्यप्रदेश को कुल रु. 27.59 करोड़ की राशि अनुदान के रुप में प्रदाय की गई। परियोजना की अवधि जून 2015 तक है। परियोजना की घटकवार अद्यतन् प्रगति तालिका क्रमांक 1.12 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.12
JICA परियोजना प्रगति

अनु. क्रं.	वन विद्यालय	कार्य		स्वीकृत बजट (रु.लाख)	01.01.2016 तक पूर्ण कार्य का प्रतिशत	
		नवीन निर्माण	अनुरक्षण कार्य		नवीन निर्माण	अनुरक्षण कार्य
1	अमरकंटक	4 भवन	1 कार्य	749.95	83	69
2	बैतूल	3 भवन	4 कार्य	708.38	100	92
3	लखनादौन	3 भवन	2 कार्य	749.67	100	100
4	शिवपुरी	3 भवन	04 कार्य	499.24	100	100
5	प्रशिक्षण विषयवस्तु विकास हेतु सलाहकार	10 कार्य		43.35	60	
6	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2 कार्यशाला का आयोजन		8.41	100	
			योग	**2759.00**		

वन विद्यालयों में निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य समापन पर हैं। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी दो चरणों में पूर्ण किया जा चुका है।

1.4.5 नीति विश्लेषण

वन विभाग के नीतियों के विश्लेषण के अतिरिक्त विभाग के मैन्यूअल पुनरीक्षण का कार्य इस इकाई द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

1.4.6 संयुक्त वन प्रबंध

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर, 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है –

(1) **वन सुरक्षा समिति** : सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में आने वाली समितियों को वन सुरक्षा समिति कहा जाता है। यह ऐसे वन क्षेत्र हैं जिनसे नियमित वानिकी कार्यों के अन्तर्गत वन उत्पाद प्राप्त किये जाते है।

(2) **ग्राम वन समिति** : बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में आने वाली समितियों को ग्राम वन समिति कहा जाता है। यह ऐसे वन क्षेत्र हैं जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गये हैं तथा जिनका पुनर्वनीकरण पुनःस्थापन किया जाना आवश्यक है।

(3) **ईको विकास समिति** : राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहां बफर क्षेत्र चिन्हित है, वहां बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन–सहयोग प्राप्त करने हेतु बनाई गई समिति को ईको विकास समिति कहा जाता है।

संकल्प के अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.01.08 द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुए अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

वन समितियों की कुल संख्या 15,228 है, जिनके द्वारा 66874 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.13 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.13
संयुक्त वन प्रबंध समितियों का विवरण

समिति का प्रकार	समितियों की संख्या	प्रबंधित क्षेत्र (वर्ग किमी)
ग्राम वन समिति	9650	37268
वन सुरक्षा समिति	4747	25904
ईको विकास समिति	831	3702
योग–	**15228**	**66874**

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण

- **मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015** — म.प्र. राजपत्र 4 जून, 2015 में ''मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम, 2015'' का प्रकाशन हुआ है, इसके अनुसार अधिसूचित ग्राम वनों के प्रबंधन में ग्राम वन समितियों की भूमिका को सशक्त एवं प्रभावी बनाया गया है।

- **मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015** — म.प्र. राजपत्र 4 जून, 2015 में ''मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2015'' का प्रकाशन हुआ है इसके अनुसार संरक्षित वनों के प्रबंधन में ग्राम वन समितियों की भूमिका को प्रभावी बनाया गया है।

लाभांश वितरण —

- **बांस का लाभांश** — प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का शत–प्रतिशत वितरण किया जाता है। वर्ष 2014–15 में बांस के लाभांश का वितरण प्रदेश के 03 जिलों (बालाघाट, बैतूल एवं सिवनी) में किया गया है।

- **काष्ठ का लाभांश** — काष्ठ लाभांश के शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2014–15 में काष्ठ के लाभांश का वितरण प्रदेश के 07 जिलों (बालाघाट, बैतूल, हरदा, डिंडोरी, मण्डला, खण्डवा एवं सिवनी) में किया गया है। लाभांश वितरण तालिका क्रमांक–1.14 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.14
वितरित लाभांश विवरण

(राशि करोड़ रू.में)

विदोहन वर्ष	लाभांश प्रदाय वर्ष	काष्ठ लाभांश	बांस लाभांश	कुल लाभांश
2010–11	2011–12	22.04	0.46	22.50
2011–12	2012–13	24.13	8.76	32.89
2012–13	2013–14	22.92	14.94	37.86
2013–14	2014–15	20.43	18.27	38.70
2014–15	2015–16	26.59	18.81	45.46

राज्य वन विकास अभिकरण —

राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19.04.2010 को किया गया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कराना है। राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत कराये गये वृक्षारोपण का विवरण तालिका क्रमांक 1.15 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.15
राष्ट्रीय वनीकरण योजनान्तर्गत वर्षवार वृक्षारोपण

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)	कराये गये कार्य (हे.में)	
		क्षेत्र तैयारी	रोपण कार्य
2011–12	2253.39	7105	16645
2012–13	914.54	4925	7105
2013–14	2210.21	4890	4925
2014–15	2100.00	4786	4890
2015–16	1789.64	3655	4786

बुंदेलखण्ड विशेष परियोजना/प्रोजेक्ट

उक्त योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार दो चरणों में किया गया है –

(अ) प्रथम चरणः (अवधि – वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12)

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 06 जिलों सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ एवं दतिया में मृदा एवं जल संरक्षण तथा चारागाह विकास के कार्य कुल 98,511 हेक्टेयर क्षेत्र में कराये गये हैं, जिससे कि भविष्य में ग्रामीणों को चारा, लघु वनोपज तथा सिंचाई हेतु पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। विवरण तालिका क्रमांक 1.16 में दर्शित है।

परिक्षेत्र ढ़ाना दक्षिण सागर वनमंडल (परकोलेशन टैंक क्रं–1)

परिक्षेत्र ढ़ाना दक्षिण सागर वनमंडल (परकोलेशन टैंक क्रं–1)

तालिका क्रमांक– 1.16

बुन्देलखंड विशेष पैकेज प्रथम चरण की प्रगति

(राशि करोड़ रू.में)

मद का नाम	प्रस्तावित लक्ष्य		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त लक्ष्य (हे.)
	भौतिक	आर्थिक			
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	89093	107.00	106.54	106.54	89086
राष्ट्रीय वनीकरण योजना	7700	20.00	19.09	19.09	7700
मनरेगा	104137	115.00	3.67	3.67	1725
कुल योगः–	**200930**	**242.00**	**129.30**	**129.30**	**98511**

(ब) द्वितीय चरणः (अवधि –वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17)

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण के 12 वीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (A.C.A.) मद में वर्ष 2013–14 से 2016–17 हेतु रूपये 80.02 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य , नहर किनारे वृक्षारोपण एवं एन.टी.एफ.पी. प्रोसेसिंग कार्यो हेतु प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त कार्य वनमण्डल उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं दतिया तथा पन्ना टाइगर रिजर्व, ओरछा अभ्यारण्य एवं नौरादेही अभ्यारण्य में कराये जा रहे हैं। प्रगति विवरण तालिका क्रमांक 1.17 में दर्शित है।

परिक्षेत्र सागर, दक्षिण सागर वनमंडल
परकोलेशन पिट

परिक्षेत्र सागर, दक्षिण सागर वनमंडल
परकोलेशन पिट

तालिका क्रमांक –1.17

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज द्वितीय चरण की प्रगति

(31.12.2015 की स्थिति में)

(राशि लाख रू. में)

वर्ष	डीपीआर में प्रस्तावित राशि	बजट राशि	व्यय राशि	भौतिक उपलब्धि
2013-14	2212.00	1327	944.59	भू जल संरक्षण कार्य – 7637 हे.
2014-15	2761.59	2212	1993.70	भू जल संरक्षण कार्य - 24080 हे. नहर किनारे वृक्षारोपण - 10 कि.मी.
2015-16	1873.40	3690	2246.37	भू जल संरक्षण कार्य - 18283 हे.
योग	6846.99	7229	5184.66	50000 हे. एवं 10 कि.मी.

1.4.7 ग्रीन इण्डिया मिशन –

भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पूरे देश में पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्र को वन आच्छादित करने तथा पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्रों में वन संवर्धन करने हेतु **"ग्रीन इंडिया मिशन"** प्रारंभ किया गया है।

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से दक्षिण सिवनी, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण सागर, होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, शिवपुरी एवं बड़वानी वनमण्डलों के अंतर्गत 70 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में नर्सरी स्थापना, सर्वेक्षण एवं माइक्रोप्लान बनाने, आस्थामूलक एवं मृदा एवं जल संरक्षण कार्य क्रियान्वयन हेतु रू. 8.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध राशि रू. 6.87 करोड़ माह नवम्बर 2015 की स्थिति में व्यय की जा चुकी है। **"ग्रीन इण्डिया मिशन"** के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक के लिये विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तैयार किया जा चुका है।

1.4.8 निगरानी एवं मूल्यांकन

वन बल प्रमुख के अधीन निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा का गठन सितम्बर 2015 में किया गया है। विभाग में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, उनके उददेश्यों की प्राप्ति तथा उनके प्रभाव का परीक्षण करने का दायित्व इस शाखा पर है।

1.4.9 प्रोजेक्ट

वन बल प्रमुख के अधीन कार्यरत इस शाखा का मुख्य दायित्व बाहय संस्था के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विभाग हेतु प्रोजेक्ट का निर्माण, अनुमोदन एवं क्रियान्वयन है।

1.4.10 अनुसंधान, विस्तार एवं लोकवानिकी

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण का कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों

में भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक–एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के अन्तर्गत उच्च तकनीकी रोपणियाँ स्थापित की गई है। वर्तमान में 161 रोणणियाँ विभिन्न अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों में कार्यरत हैं, जहाँ सभी प्रजातियों के उचित गुणवत्ता के सामान्य एवं ग्राफ्टेड पौधे तैयार किये जा रहे हैं।

वर्षा ऋतु 2015 में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त की रोपणियों से 439.66 लाख पौधे वन विभाग/अन्य शासकीय विभाग/ निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रदाय किये गये हैं विभाग के बाहर पौधे विक्रय से 220.28 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। विभिन्न रोपणियों में विगत पाँच वर्षों में तैयार किये गये पौधे, उनका निर्वतन एवं प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका क्रमांक 1.18 में दर्शित है।

रोपणी में सागौन पौध तैयारी

अनुसंधान विस्तार सिवनी

अनुसंधान विस्तार भोपाल

तालिका क्रमांक 1.18

रोपणी में तैयार पौधे एवं राजस्व

विवरण	**वर्षवार तैयार पौधे** (संख्या – लाख में)				
	2011-12	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16***
तैयार पौधे	744.48	814.58	941.25	1071.53	990.67
रोपणियों से निवर्तित पौधे (संख्या – लाख में)					
विभागीय रोपण हेतु प्रदाय	212.32	282.30	341.75	409.84	395.79
अन्य शासकीय विभागों/पंचायतों को विक्रय	22.85	26.15	14.62	14.63	16.22
निजी व्यक्ति/संस्था को विक्रय	18.40	14.22	12.94	26.98	27.65
योग	**253.57**	**322.67**	**369.31**	**451.45**	**439.66**
पौधा विक्रय से प्राप्त राजस्व (राशि – रू. लाख में)					
वन विभाग से	1.12	0.00	7.95	7.74	23.92
अन्य विभागों से	161.80	178.63	95.81	35.75	29.81
निजी व्यक्ति/संस्था से	94.87	100.51	90.07	136.64	15.46
योग	**257.79**	**279.14**	**193.83**	**180.13**	**244.20**

* नवम्बर 2015 तक

अनुसंधान विस्तार इंदौर

लोकवानिकी

लोकवानिकी अधिनियम, 2001, का मुख्य उद्देश्य निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन करते हुए निजी वानिकी का प्रोत्साहन एवं उसे लाभदायक व्यवसाय बनाना है। लोकवानिकी योजना 01 मई 2003 से पूरे प्रदेश में लागू की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम 2002 बनाये गये हैं। लोकवानिकी अंतर्गत 10 हे0 से कम क्षेत्र की प्रबंध योजनाओं की स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी एवं 10 हे0 से अधिक क्षेत्र की प्रबंध योजनाएं भारत शासन द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। सक्षम अधिकारी से प्रबंध योजना की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात यथास्थिति प्रत्येक भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा प्रबंध योजना के विधानों तथा शर्तों के अनुरूप उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। लोकवानिकी योजना अंतर्गत अब तक 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की 2846 योजनाएं एवं 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की 31 प्रबंध योजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

अनुसंधान विस्तार इंदौर

1.4.11 भू–प्रबंध

वन भूमि व्यपवर्तन

आरक्षित एवं संरक्षित वनों में प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति दिये जाने के विशेष अधिकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत राज्य सरकार तथा वन अधिकारियों में निहित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1980 मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे। इस प्रावधान द्वारा राज्य सरकार तथा वन अधिकारियों के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति देने के असीमित अधिकारों को सीमित किया गया है।

इस अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैंः–

''किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :–

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ''आरक्षित वन'' पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा ।

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए ।

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए ।

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।

किसी भी आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निश्चित अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो कि क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। आवेदक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति उपरान्त भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात् से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति तालिका क्रमांक 1.19 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.19

प्राप्त आवेदन एवं निराकरण

क्र.	विवरण	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014	वर्ष 2015
1	प्राप्त आवेदन	38	39	36	41
2	स्वीकृत प्रकरण	36	33	35	37
3	अस्वीकृत प्रकरण	18	–	–	03
4	विचाराधीन प्रकरण	–	–	225	206
	(अ) सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	–	–	93	77
	(ब) औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	–	–	132	129

वर्ष 1980 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन का गोशवारा तालिका क्रमांक 1.20 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.20

उपयोगवार वन भूमि का व्यपवर्तन

(हेक्टेयर में)

क्र.	उपयोग	1980-1990		1991-2000		2001-2010		2011-2015		कुल व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत
		व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत		
1	सिंचाई	62793.520	31.009	6367.356	16.153	8949.552	53.857	2202.280	21.5053	80312.708	29.880
2	विद्युत	2574.264	1.271	487.020	1.236	2369.214	14.258	2364.230	23.0867	7794.728	2.900
3	खनिज	4574.380	2.259	5676.676	14.401	4079.098	24.547	3618.310	35.3328	17948.464	6.678
4	विविध	701.469	0.346	4652.312	11.802	1213.107	7.300	2055.836	20.0752	8622.724	3.208
5	रक्षा	12458.038	6.152	22235.481	56.408	6.270	0.038	0.000	0.000	34699.789	12.910
6	अतिक्रमण	119401.716	58.963	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	119401.716	44.424
TOTAL		**202503.387**	**100.000**	**39418.845**	**100.000**	**16617.241**	**100.000**	**10240.656**	**100.000**	**268780.129**	**100.000**

टीपः— 1. भारत सरकार से आंकड़ों के मिलान के उपरान्त कुछ उपयोग के आंकड़ों में भिन्नता आई है, जिसके अनुसार इस तालिका में सुधार किया गया है।

2. गत वर्ष के प्रतिवेदन में अतिक्रमण से संबंधित प्रकरणों की व्यपवर्तित भूमि सम्मिलित नहीं की गई थी, जिसे अब सम्मिलित कर दिया गया है।

पिछले 4 दशकों में वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन सतत् रूप से कम हुआ है तथा वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात से अधिकतम (29.9 प्रतिशत) वन भूमि का व्यपवर्तन सिंचाई उपयोग हेतु किया गया है। 7 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में कुल 63250.639 हेक्टेयर एवं 224 लघु सिंचाई परियोजनों में 17062.069 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हुआ है। वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि का उपयोग अनुसार विवरण **परिशिष्ट–3** में संलग्न है।

वर्ष 2015 में भूमि व्यपवर्तन के निराकृत प्रकरण तालिका क्रमांक 1.21 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.21

जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक निराकृत प्रकरण

क्र.	उपयोगकर्ता एजेन्सी	प्रकरण संख्या	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत
1	सिंचाई	8	215.73	9.360
2	विद्युत	9	670.626	29.098
3	खनिज	4	81.214	3.524
4	विविध (मार्ग/रेलवे आदि)	16	1337.135	58.018
योग		**37**	**2304.705**	**100.00**

उपरोक्तानुसार वर्ष 2015 में अधिकतम (58 प्रतिशत) वन भूमि का व्यपवर्तन मार्गों/विविध कार्यो हेतु किया गया है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करते हुए दिनांक 01.11.2014 से समस्त रेखीय (सड़क, नहर, विद्युत लाईन एवं रेलवे लाईन) के प्रकरणों की स्वीकृति तथा शेष प्रकरणों मे (उत्खनन, जल, विद्युत परियोजनायें तथा अतिक्रमण के

प्रकरणों को छोड़कर) 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार भोपाल स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय साधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

विगत वर्षों में प्रशासनिक तत्परता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले समय में काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण प्रकरणों का निराकरण अधिक शीघ्रता से हो रहा है।

वर्ष 2014–15 में स्वीकृत महत्वपूर्ण प्रकरणों की सूची **परिशिष्ट–4** में संलग्न है।

सामान्य स्वीकृति

एक हेक्टेयर से कम वन क्षेत्र हेतु

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कुछ शर्तो के अधीन शासकीय विभागों को एक हैक्टेयर से कम वनभूमि के व्यपवर्तन की सामान्य स्वीकृति दी गई है। इसके उपयोग की समय–सीमा 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ाई गई है। इसके अन्तर्गत स्कूल, मार्ग मरम्मत, अस्पताल, विद्युत व संचार लाईने, पेयजल की व्यवस्था, रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत सब स्टेशन, छोटी सिंचाई नहरे, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, वाचटावर इत्यादि निर्माण कार्य लिये जा सकते है। प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.22 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.22

एक हेक्टेयर से कम वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण

(03.01.2005 से 31.12.2013 तक)			(01.01.2014 से 31.12.2014 तक)			(01.01.2015 से 31.12.2015 तक)		
प्राप्त	स्वीकृत	हेक्टेयर	प्राप्त	स्वीकृत	हेक्टेयर	प्राप्त	स्वीकृत	हेक्टेयर
313	313	129.092	31	31	21.475	158	146	80.241

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–5–11/2006/10–3 दिनांक 13.6.2014 द्वारा एल.डब्ल्यू.ई. (Left Wing Extremism) प्रभावित जिलों, अनूपपुर, बालाघाट, डिण्डौरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सीधी, उमरिया, छिन्दवाड़ा एवं सिंगरौली में जनपयोगी विकास कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदत्त 2.00 हेक्टेयर के स्थान पर 5. 00 हेक्टेयर तक वनभूमि व्यपवर्तन की सामान्य स्वीकृति अनुसार क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारियों को वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी गई है। प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.23 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.23

5 हेक्टेयर तक स्वीकृत वन भूमि प्रकरण

(28.01.2011 से 31.12.2013 तक)			(01.01.2014 से 31.12.2014 तक)			(01.01.2015 से 31.12.2015 तक)		
प्राप्त	स्वीकृत	हेक्टेयर	प्राप्त	स्वीकृत	हेक्टेयर	प्राप्त	स्वीकृत	हेक्टेयर
95	95	74.286	18	18	24.472	14	13	32.705

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3(2) के तहत ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक हेक्टेयर से कम वनभूमि, जिनमें प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, निम्न विकास कार्यों के लिये व्यपवर्तन हेतु निर्धारित शर्तों पर अनुमति दी गई है:–

पाठशालाएं, चिकित्सालय, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकानें, विद्युत एवं दूरसंचार लाईनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय पेयजल की आपूर्ति हेतु जल प्रदाय के लिये पाइप लाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें तथा सामुदायिक केन्द्र।

स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया भारत सरकार के पत्र क्रमांक 23011/15/2008 एसजी दिनांक 18 मई 2009 द्वारा जारी की गई है तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिनांक 29.05.2009 को जारी किए गए हैं।

कच्चे मार्गों का उन्नयन

भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.04.2005 द्वारा वन क्षेत्र से गुजर रहे 1980 के पूर्व निर्मित कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु सामान्य स्वीकृति प्रदान की गई है। म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गो के उन्नयन हेतु सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.09.2006 के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मार्गों के उन्नयन प्रकरण का विवरण तालिका क्रमांक 1.24 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.24

मार्ग उन्नयन के प्रकरण

योजना	(वर्ष 1980 से दिसम्बर 2013 तक)		(जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक)		(जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक)	
	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	2434	2423	101	90	179	141
मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना	–	624	–	37	95	50
वर्ष 1980 के पूर्व की सड़कों का उन्नयन	–	–	–	–	–	22

1.4.12 कैम्पा (Compensatory Afforestation Management & Planning Authority)

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन भूमि उपयोग पर देने की भारत सरकार की अनुमति में अन्य शर्तों के अतिरिक्त मुख्य रूप से दो शर्तें निहित रहती हैं :–

1. आवेदक से व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने वन क्षेत्र पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर नेट प्रेजेंट वैल्यू एवं वन्यप्राणी की राशि जमा करना।

इन दो शर्तों के अधीन विभिन्न प्रकरणों मे जो धन राशि राज्य सरकार के पास जमा होती थीं तथा उसका उपयोग इन शर्तों की पूर्ति हेतु किया जाता था। इस धनराशि के उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.04.2004 द्वारा कैम्पा (Compensatory Afforestation Management & Planning Authority) का गठन किया गया है। इस व्यवस्था अंतर्गत व्यपवर्तन की स्वीकृति योग्य परियोजनाओं में प्राप्त होने वाली समस्त राशि भारत सरकार द्वारा संचालित कैम्पा खाते में जमा कराई जाती हैं तथा राज्य शासन के वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) के अनुसार राशि भारत सरकार से प्राप्त करके विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वित की जाती हैं।

कैम्पा अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिये वर्षवार राशि का विवरण तालिका क्रमांक 1.25 में दर्शित है।

तालिका कमांक–1.25

कैम्पा मद मे वर्षवार राशि का विवरण

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	दिल्ली कैम्पा खाते मे जमा राशि	म.प्र. को प्राप्त राशि	वनमण्डल की व्यय राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2007-2008	34884.78		
2	2008-2009	5537.43		
3	2008-2009	9858.94		
4	2009-2010	17454.53	5304.82	
5	2010-2011	30261.25	5096.56	3528.09
6	2011-2012	21394.92	5352.09	5277.13
7	2012-2013	36729.81		4593.63
8	2013-2014	102735.44	6150.00	5079.04
9	2014-2015	42856.87	8950.00	6197.04
10	2015-2016 (31-12-15)	15448.30	21300.00	9660.75
योग		**317162.26**	**52153.47**	**34335.68**

वैकल्पिक वृक्षारोपण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति की शर्तों के अनुसार कराये गये वैकल्पिक वृक्षारोपण विवरण तालिका क्रमांक 1.26 में दर्शित है।

तालिका कमांक 1.26

वैकल्पिक वृक्षारोपण

क्रमांक	मद	रोपण योजनाएं	अवधि	प्रावधानित रोपण		कराया गया रोपण	
				भौतिक (हेक्ट. में)	आर्थिक (करोड़ में)	भौतिक (हेक्ट. में)	आर्थिक (करोड़ में)
1	राजस्व मद	—	1980—2000		-	41586.121	-
2	पी.डी.खाता	49	2002—2005			4198.217	
3	कैम्पा मद						
	रोपण	391	2010—2014		349.85	15524.711	
	भूमि तैयारी	59	2014—15	154162.722	146.97	5377.192	221.11
	प्रस्तावित	69	2015		238.52	13882.857	
4	एन.वी.डी.ए.	—	—		-	60548.77	-
			योग	**154162.722**		**141117.868**	

रोपण कार्यों के अतिरिक्त वन्य प्राणी संरक्षण सहित अन्य कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण **परिशिष्ट—5** में संलग्न है।

1.4.13 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकी का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जो निम्नानुसार है :—

जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली)

वन क्षेत्रों के सभी नक्शों (1:15,000 स्केल) का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के डिजीटल नक्शों को मिलाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का वन क्षेत्रों का एकीकृत डिजीटल मानचित्र तैयार भी कर लिया गया है। इन डिजीटाईज्ड नक्शों का उपयोग " Integrated Works Monitoring & Geo Mapping System," Plantation Monitoring System", " Working Plan Execution System", एवं Working Plan बनाने में किया जा रहा है। सभी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के द्वारा मांग किये जाने पर निर्धारित दर पर डिजीटाईज्ड नक्शे हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (पी.डी.एफ. फार्मेट में) प्रदाय किये जाते हैं।

जी.आई.एस. डाटा के अद्यतन करने के द्वितीय चरण में म.प्र. वन विभाग के जी.आई.एस. डेटा को राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जी.आई.एस. डेटा के साथ मिलान किये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

उपरोक्त डाटा मिलान का कार्य एक बार पूर्ण हो जाने पर राजस्व वन भूमि विवाद में काफी कमी आने की संभावना होगी।

वनक्षेत्र– डिजीटल मानचित्र

भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा निर्मित एकीकृत डिजीटल मानचित्र

विभागीय डाटा सेंटर एवं संचार व्यवस्था

विभागीय आंकडों के सुरक्षित भण्डारण एवं संधारण हेतु राज्य स्तर का विभागीय डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय इन्टरनेट के द्वारा इससे जुड़कर विभागीय एप्लीकेशन्स का उपयोग करते है। आंकड़ों का संग्रहण वृहद रूप में सूचना प्रबंध प्रणाली एवं डिजीटल नक्शों के रूप में किया गया है।

एडूसेट नेटवर्क

वानिकी क्षेत्र तेजी से बदलने परिदृश्य में उत्कृष्ठ नतीजे देने के लिये संस्थागत क्षमता वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) के द्वारा संचालित एजुसेट उपग्रह के माध्यम से दूरस्य अंचलों में स्थित वन कर्मचारियों एवं समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 52 स्थानों पर सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर भोपाल स्थित एडूसेट स्टूडियों से आवश्यक विषय–वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है।

एडयुसेट स्टीडियो एवं हाल भोपाल

एडयुसेट स्टीडियो कमान्ड रूम भोपाल

भोपाल में स्थित एडूसेट स्टूडियों से वक्ता समस्त 52 प्रशिक्षण केन्द्र (SIT) पर न केवल प्रशिक्षण देते है बल्कि श्रोताओं से सीधे संवाद भी करते हैं।

वीडिया कान्फ्रेन्स सुविधा

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय वृत्त कार्यालयों में वीडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा विकसित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है।

सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन

केन्द्र शासन से सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की 113 KV एवं 900 KV परियोजना हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी वन परिक्षेत्र कार्यालय, वन्य प्राणी कैम्प, वनोपज नाकों तथा वन चौकियों पर प्रत्येक में 1 kw, 5 kw क्षमता के Solar Photovoltaic System की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन सोलर प्लेट खनोदी (उमरिया)

सौर ऊर्जा संयंत्र बेटरी कक्ष खनोदी (उमरिया)

वायरलेस ब्राडबैंड नेटवर्क

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ऐसे स्थानों–परिक्षेत्र कार्यालय, नेशनल पार्क के परिक्षेत्र, डिपो तथा चौकियों जहां इंटरनेट की उपलब्धता की समस्या थी (14 जिले) पर 105 वायरलेस Canopy, Radio link का उपयोग करके ब्राडबैंड लिंक की स्थापना कर उन स्थलों पर नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है।

वायरलेस ब्राडबैंड टावर व्योहारी (उमरिया)

बॉधवगढ टाईगर रिजर्व परिक्षेत्र– खितौली वायरलेस ब्राडबैंड

रिमोट सेंसिंग

मध्यप्रदेश वन विभाग को वनों के आवरण में परिवर्तन की जाँच के लिये NRSC हैदराबाद से हाई रेज्यूलेशन सेटेलाईट इमेजरी WV–2 (अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर, 2013) एवं (फरवरी 2014 से अप्रैल 2014), Orthorectified Liss–3, (2011, 2013) एवं Liss–4, (2013), प्राप्त की गई। प्राप्त सेटेलाईट इमेजरी का उपयोग जियो पोर्टल के द्वारा NDVI Change Detection के लिये किया जा रहा है।

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का अनुश्रवण

समिति के माध्यम से जो कार्य कराये जावेंगे उसके लिये राशि कार्य की प्रगति के आधार पर अर्जित राशि के रुप में समिति के खाते में तत्काल भुगतान की जावेगी। इस हेतु समस्त समितियों को प्रदाय व व्यय की जानकारी वनमंडल/परिक्षेत्र स्तर से अपलोड कराने हेतु साफ्टबेयर संयुक्त वन प्रबंधन अनुश्रवण प्रणाली बनाया गया है जिसमें समितियों में वनमंडल/परिक्षेत्र स्तर पर समिति खाते एवं विकास खाते दोनों के प्रदाय एवं व्यय की प्रविष्ठि की जायेगी।

अन्य उपयोगी एप्लीकेशन

वन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन को प्रभावशील बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नानुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किये गये हैः–

1. **फारेस्ट फायर एवं मेसेजिंग सिस्टम** (FAMS)

   वनक्षेत्रों में लगी आग को सेटेलाईट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर बीटगार्ड को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है जिससे कि संबंधित क्षेत्र में वन अमले द्वारा पहुंचकर अग्नि को नियंत्रण कर वनों की रक्षा की जाती है।

2. **फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम** (FOMS)

   प्रणाली के माध्यम से वर्षवार पजीकृत वन अपराधों की जानकारी, परिक्षेत्र वन अपराध पंजी, जांच, अभिसंधान, वसूली एवं कालातीत प्रकरणों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।

3. **वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम,** (WLMS)

   इस प्रणाली के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में की जा रही पेट्रोलिंग का मार्ग गूगल मैप पर देखा जा सकता है।

4. **फारेस्ट एम्पलाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,** (FEDMS)

   इस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जाता है इसमें उनकी सेवाओं का विवरण एवं नियुक्ति, पदस्थिति, आदि सम्मिलित होती है।

5. **प्लान्टेशन मानिटरिंग सिस्टम** (PMS)

   इस प्रणाली के वृक्षारोपणों को पंजीकृत कर उनकी वास्तिविक भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र का विवरण, प्रजाति आदि का डाटाबेस तैयार कर उक्त प्रणाली से वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुश्रवण किया जा सकता है।

6. **''बुंदलेखण्ड विशेष पैकेज फेस -** II Application

   इस प्रणाली की सहायता से वाटर शेड में कार्यों को क्षेत्रवार दर्ज कर नक्शे में देखा जा सकता है। बजट आवंटन की स्थिति एवं व्यय की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के द्वारा अनुश्रवण की जा सकती है।

7. **हितग्राही (बांस, औषधि एवं सुगंधित पौधे) पंजीकरण प्रणाली**

   हितग्राही पंजीयन एवं प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं जैसे –बाँस भिर्रो का संवर्धन एवं विक्रय, औषधि/सुगंधित पौधों का संवर्धन एवं क्रय, अन्य लघु वनोपज के अन्तर्गत वनक्षेत्र/गैरवन क्षेत्र के हितग्राहियों के संबंध में जानकारी जैसे–बैंक संबंधित जानकारी, आवंटित क्षेत्र, मजदूरी की लाभांश राशि हितग्राहियों के फोटो सहित मानीटरिंग की जा सकती है।